न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारीः— अखिलेश कुमार पिपल आर.ए.एस.

अपील संख्याः—567/2020 (GCMS No. 2020/00592) (धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. सुरेन्द्र उम्र 33 वर्ष पुत्र श्री हरीप्रसाद जाति त्यागी (गोलापूरब) निवासी ग्राम राजपुर तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

1. गोकुल सिंह
2. माताप्रसाद
3. द्वारिकाप्रसाद

} पिसरान मूँगाराम जाति त्यागी निवासी ग्राम राजपुर तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ

.....रैस्पोडैन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी सैंपऊ दिनांक 05.09.2019 मु.नं. 13/2019 उनवान गोकुल सिंह बनाम सरकार

उपस्थितिः—

1. किशनसिंह त्यागी, वकील अपीलान्ट
2. योगेश कुमार शर्मा वकील रेस्पोडैन्ट
3. राजकीय अभिभाषक

नि र्ण य

दिनांक : 20.02.2023

1. यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी सैंपऊ के निर्णय दिनांक 05.09.2019 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि रेस्पोडैन्टस संख्या 1 लगा. 3 ने तहसीलदार के विरूद्व अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा 131 एल.आर.एक्ट वास्ते नक्शा दुरूस्ती बावत्

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

प्रमाणित प्रतिलिपि

रीडर
अति. संभागीय आयुक्त, भरतपुर

खसरा नम्बर 1497/860 स्थिति ग्राम राजपुर तहसीलदार सैपऊ प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को सुनवाई का मौका दिये बिना दिनांक 05.09.2019 को एकपक्षीय रूप से प्रत्यर्थी संख्या 4 को जबाब के लिए मौका दिये बिना अपीलार्थी के अधिकारों एवं कब्जे पर कुठाराघात करते हुये ख.नं. 1497/860 की तरमीम करने के आदेश पारित किये हैं। उक्त आदेश के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

2. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडैन्टगण व तहत न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

3. दौराने बहस विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मीमो के कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्व में नक्शा तरमीम जो निरस्त की है। उससे प्रभावित पक्षकार अपीलान्ट को सुनवाई का विधिवत मौका नहीं दिया गया। रेस्पोडैन्टस संख्या 1 लगा. 4 ने आपस में साझ कर निर्णय पारित करया है। आक्षेपित निर्णय में नक्शे तरमीम के जो आदेश पारित किये है उसके लिए मौका की भौतिक स्थिति की वास्तविक रिपोर्ट पटवारी हल्का से तलब नहीं की गई ओर न रेस्पो. संख्या 4 को जबाब का मौका दिया गया। पूर्व निर्णय व डिक्री दिनांक 11.08.2009 के विरूद्ध कोई तरमीम प्रत्यर्थी संख्या 4 ने कर भी दी थी तो प्रत्यर्थी संख्या 1 लगा. 3 निर्णय व डिक्री दिनांक 11.08.2009 की विधिवत पालना हेतु निष्पादन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने को स्वतंत्र थे लेकिन ऐसा नहीं किया। खसरा नं. 1498/860 के बावत् एक प्रकरण सरकार बनाम सुरेन्द्र मुकदमा नं. 45/12 न्यायालय ए.डी.एम. धौलपुर में विचाराधीन रहा जिसको दिनांक 24.07.2015 को स्वीकार कर माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के लिए आवंटन निरस्त कर सिवायचक दर्ज करने के लिए रैफर कर दिया गया जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 4 तहसीलदार सैपऊ को निर्देशित किया गया है कि जांच कर उक्त मूल खसरा नम्बर 860 का आवंटन पाया जाने पर रैफरेन्स प्रस्तुत करें लेकिन प्रत्यार्थी संख्या 4 न इन निर्देशों की पालना नहीं कर प्रत्यार्थी संख्या 1 लगा. 3 को उसी ख.नं. की तरमीम करने की मौन स्वीकृति दी है। अपीलार्थी का अधिकार खातेदारी की आराजी ख.नं. 1498/860 जो कि अपेक्षित आदेश से नक्शा तरमीम की जानी है तथा प्रभावित होने वाली है। वह सिंडिकेट बैंक शाखा धौलपुर में रहन है जिसे सुनवाई का मौका नहीं दिया गया। प्रत्यार्थी संख्या 1 लगा. 3 का वास्तविक कब्जा ख.सं. 849 में दक्षिण में था जिसे ख.सं. 849 के खातेदारों ने प्रत्यर्थी संख्या 1 लगा. 3 से जबरन कब्जा छुडा लिया। प्रत्यर्थी संख्या 1 लगा. 3 ने ख.नं. 849 के विरूद्ध काग्रवाही नहीं कर वाला वाला अधीनस्थ न्यायालय में अनाधिकृत कार्यवाही स्वयं को अनुचित लाभ लेने तथा अपीलार्थी के कब्जे वाली अधिकार खातेदारी की आराजी को हडपने तथा दक्षिण दिशा में मूल ख.नं. 860 की सिवायचक भूमि पर

2. अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

प्रमाणित प्रतिलिपि

रीडर
अति. संभागीय आयुक्त, भरतपुर

नाजायज कब्जा करने के उद्देश्य से की है। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व अभिलेख का निरीक्षण नहीं किया है, ना ही प्रत्यार्थी संख्या 4 से विधिवत जवाब प्राप्त किया है। न ही आक्षेपित आदेश से प्रभावित पक्षकारों को सुनवाई का मौका दिया है। दिनांक 02.09.2020 को अपीलार्थी को प्रत्यर्थी संख्या 1 लगा. 3 ने धमकी दी कि वह पूर्व नक्शा तरमीम के मुताबिक कब्जे को छोड दे अन्यथा लट्ठ के बल पर कब्जा करेंगे। उन्होने अपीलार्थी की पीठ पीछे से अधीनस्थ न्यायालय से नक्शा तरमीम की कार्यवाही के आदेश प्राप्त कर लिये। अपीलार्थी ने अपीलाधीन आदेश की नकल प्राप्त करने की कार्यवाही कर अपील अन्दर अवधि पेश की है। अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थे। निर्णय की जानकारी नहीं होने से अपील पेश करने में हुई देरी क्षमा योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आक्षेपित आदेश निरस्त किया जावे। अपीलान्ट द्वारा अपने कथनों के समर्थन में नक्शा ट्रेस दिनांक 30.07.2019 ग्राम राजपुर, नक्शा ट्रेस दिनांक 12.09.2020 ग्राम राजपुर, जमाबन्दी सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 34, खाता संख्या 257, खाता संख्या 269 एवं खाता संख्या 18, छायाप्रति रेफ्रेन्स निर्णय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर दिनांक 24.07.2015 पेश किये साथ ही न्यायिक दृष्टांत 2013(1)आरएलडब्ल्यू पेज 268, आरआरडी 1990 पेज 477, आरआरटी 2019(2) पेज 1206, 2008(3) आरएलडब्ल्यू 1989 पेज 1989, 2018 डीएनजे (एस.सी.) पेज 1422 प्रस्तुत किये।

विद्वान रैस्पोडैन्टस अभिभाषक का कथन है कि अपीलाधीन आदेश न्यायालय द्वारा पारित डिक्री दिनांक 11.08.2019 की पालना में पारित किया है। जिसमें अपीलान्ट पक्षकार था। तरमीम बावत् आदेश उक्त डिक्री की पालना में जारी किया गया है। डिक्री की पालना में तैयार किये गये नक्शे में सद्भावी त्रुटि हुई थी। त्रुटि को सही कराने के लिए तहसीलदार को पक्षकार बनाया गया था। अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अपीलान्ट आवश्यक पक्षकार नहीं थे। अधीनस्थ न्यायालय की डिक्री व निर्णय आज भी यथावत है जिनके आधार पर शुद्वि हुई है। यदि कोई रेफ्रेन्स किया है तो तहसीलदार रेफ्रेन्स में नियमानुसार कार्यवाही कर सकता है। अपीलाधीन आदेश में कोई त्रुटि नहीं है अपील खारिज की जावे। अपने कथनों के समर्थन में रेस्पोडैन्ट द्वारा 2020(2)आरआरटी 1078, 2012 (1)आरआरटी 668, 2015(2)आरआरटी 1103 पेश की।

5. रैस्पोडैन्टस अभिभाषक के जबाब में अपीलान्ट द्वारा कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकतरफा कार्यवाही की गई है। विधिवत पक्षकारों को सुनवाई का मौका नहीं दिया गया। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जावे।
6. हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

प्रमाणित प्रतिलिपि

रीडर
अति. संभागीय आयुक्त, भरतपुर

अवलोकन किया, जिनके आधार पर यह स्पष्ट है कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.09.2019 के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 21.09.2020 को अपील लगभग 1 वर्ष पश्चात पेश की है। अपीलार्थी द्वारा उक्त विलम्ब के संबंध में अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया जिसमें उनको द्वारा अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 02.09.2020 को होना बताई है। चूँकि अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाये गये। अतः स्वभाविक है कि उनके निर्णय की जानकारी देरी से मिली तथा निर्णय की जानकारी से ही मियाद प्रारम्भ होती है। प्रार्थना पत्र के कारण न्यायालय के मत में पर्याप्त एवं संतोषजनक हैं। अतः अपील में हुई विलम्ब को क्षमा किया जाना न्यायोचित है।

अपीलान्ट द्वारा अपीलाधीन आदेश के साथ प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी का प्रस्तुत करते हुये कथन किया कि अपीलार्थी मूल खसरा नम्बर 860 की पूर्व से कब्जे काश्त के आधार पर की गई। तरमीम को निरस्त कर पुनः नक्शा तरमीम के लिए आदेशित किया है जिसमें अपीलार्थी के अधिकार खातेदारी की आराजी ख.नं. 1498/860 के कब्जा एवं नक्शों की तरमीम की जानी है जिससे अपीलार्थी प्रभावित पक्षकार हैं तथा अपीलार्थी को अपूरणीय क्षति होने की पूरी संभावना है। प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी के विरूद्ध रेस्पो. का कथन है कि अपीलान्ट आवश्यक पक्षकार नहीं है न ही प्रभावित पक्षकार है। न्यायालय द्वारा पारित डिक्री की पालना में ही तरमीम शुद्वि की कार्यवाही हुई है। धारा 96 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। न्यायालय के मत में नक्शा तरमीम से अपीलान्ट के अधिकार प्रभावित होना स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है। तदनुरूप यह कहना गलत नहीं होगा के अपीलान्ट प्रभावित पक्षकार है तथा अपील करने का पूर्ण अधिकार है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाता है।

8. अपीलान्ट को पक्षकार बनाते हुये अधीनस्थ न्यायालय में विवादित आराजी बावत् विभाजन निर्णय व डिक्री दिनांक 11.06.2009 को पारित की गई जिसकी पालना में नक्शा तरमीम किया गया। रेस्पो. मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे थे। रेस्पो. द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तावित तरमीम और विभाजन प्रस्ताव मौके के कब्जे को देखे बिना पारित करने के आधार लेते हुये व नक्शे में दुरूस्ती बावत् प्रार्थना पत्र तहसीलदार को पक्षकार बनाने हेतु किया। अपीलान्ट को जिसमें पक्षकार नहीं बनाया न ही अन्य प्रस्तावित खातेदारों को पक्षकार बनाया। उक्त विवादित आराजी के संबधं में एक रेफ्रेन्स मुताबिक निर्णय अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर दिनांक 24.07.2015 को निर्णय करते हुये तहसीलदार सैपऊ को नियमानुसार रेफ्रेन्स की कार्यवाही करने बावत् निर्देशित किया साथ ही प्रकरण को राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर भिजवाया गया। रेफ्रेन्स बावत् तथ्य को रेस्पो. द्वारा भी स्वीकार किया है। माननीय उच्चतम न्यायायल द्वारा अपने न्यायिक दृष्टांत 2018 डीएनजे 1422 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि

प्रमाणित प्रतिलिपि

रीडर
अति. संभागीय आयुक्त, भरतपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

प्राकृतिक न्याय के सिद्वांत के उल्लंघन में पारित कोई भी आदेश विधि सम्मत नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायायल को अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व न्यायालय के मत में विवादित आराजी बावत् प्रस्तावित नक्शा तरमीम से प्रभावित होने वाले समस्त खातेदारान को पक्षकार बनाया जाना चाहिए था। न्यायालय के मत में उक्त तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

9. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैंपऊ का निर्णय दिनांक 05.09.2019 निरस्त किया जाता है तथा उपखण्ड अधिकारी को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है, कि विवादित आराजी बावत् समस्त प्रभावित खातेदारों को पक्षकार बनाया जाकर सुनवाई का विधिवत रूप से मौका दिया जाकर प्रकरण को पुनः गुणावगुण के आधार पर निस्तारित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

10. निर्णय आज दिनांक 20.02.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20-02-2023

(अखिलेश कुमार पिपल)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

प्रमाणित प्रतिलिपि

रीडर
अति. संभागीय आयुक्त, भरतपुर